(136)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/4081 विरूद्ध आदेश दिनांक 16-10-2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, गुलाना जिला शाजापुर प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/2016-17.

---

1. लखन पिता करणसिंह
2. आनंद पिता देवीसिंह
3. प्रकाश पिता रामचरण मेवाड़ा
4. जगदीश पिता रामचरण मेवाड़ा
5. सुरेन्द्र पिता माधोराव अत्रे

निवासीगण एवं कृषकग्राम सलसलाई
तहसील गुलाना जिला शाजापुर, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. अनुप दुबे पिता विजय दुबे
2. श्रीमती नेहा पति अनुप दुबे

निवासीगण 9 ऋषि कुटीर स्कीम नं. 94, इंदौर .....अनावेदकगण

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, गुलाना जिला शाजापुर द्वारा पारित दिनांक 16-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार तहसील गुलाना जिला शाजापुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सलसलाई तहसील गुलाना जिला शाजापुर स्थित सर्वे नम्बर 292 रकबा 0320 आरे एवं 293/2/मिन-3 रकबा 1.680 आरे उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिसका उसके द्वारा विधिवत

सीमांकन कराया गया है। प्रश्नाधीन भूमि पर उसका ही कब्जा है, परंतु आवेदक पक्ष द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की नीयत से बक्खर फेरकर बुवाई कर दी गई है। अतः आवेदक पक्ष द्वारा कब्जा करने की नीयत से किया जा रहा कार्य रूकवाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/2016-17 दर्ज कर दिनांक 16.10.2017 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण का अवैध आधिपत्य हटाकर अनावेदक पक्ष को मौके पर आधिपत्य दिलाये जाने के निर्देश दिये गये। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किये गये कि ग्राम सलसलाई स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 293 रकबा 4.05 आरे पूर्व में माधोराव के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी और उसकी मृत्यु उपरांत उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम वर्ष 1990 तक दर्ज रही। यह भी कहा गया कि माधोराव व उनके वारिसान उनके जीवनकाल में पुराना सर्वे क्रमांक 2/2 नया सर्वे क्रमांक 293 को अपने बटाईदार रामचन्द्र पिता रामसिंह से खेती करवाते थे और बटाईदार द्वारा 15-20 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर खेती की गई । तर्क में यह भी कहा कि सन् 1990-91 में विक्रेता गोपालकृष्ण का त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज हो गया था, इसी का फायदा उठाकर गोपालकृष्ण ने प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण को विक्रय की, जबकि गोपालकृष्ण का वादग्रस्त भूमि पर कोई हित व स्वत्व ही नहीं था और उक्त भूमि पर आवेदकगण का आज भी वैध कब्जा है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण एवं पड़ोसी कृषकों को बिना सूचना दिये उनके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि सीमांकन आवेदकगण की अनुपस्थिति में किया गया है और सीमांकन पंचनामे पर आवेदकगण के हस्ताक्षर भी नहीं है, इसलिए संहिता की धारा 250 का प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है। यह भी कहा गया कि सीमांकन पंचनामे में किन-किन व्यक्तियों का अवैध कब्जा है, इस बात का कोई उल्लेख पंचनामे में नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण पर असत्य आरोप लगाये गये हैं, जिनको साक्ष्य से प्रमाणित भी नहीं किया गया है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक क्रमांक 2 आनंद तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं था और न ही उसके द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उसे निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

(2) अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 292 रकबा 0.320 एवं सर्वे क्रंमांक 293/2/3 मिन रकबा 1.680 आरे पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, जिस पर उनका विधिवत नामांतरण स्वीकृत हुआ है और उनके द्वारा विधिवत सीमांकन करवाया गया है । सीमांकन के उपरांत आवेदकगण द्वारा दिनांक 26.06.2017 को बलपूर्वक ट्रेक्टर चलाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट थाना प्रभारी सलसलाई एवं अनुविभागीय अधिकारी को की गई है।

(3) कृष्णगोपाल का नाम सर्वे क्रमांक 2/2 पर विधिवत सिविल न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया है। विक्रेता कृष्णगोपाल द्वारा कोई गलत नाम अंकित नहीं करवाया गया है।

(4) आवेदकगण का वर्ष 1990 तक राजस्व अभिलेखों में नाम नहीं था और ना ही उनके वारिसों का नाम रहा । प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 293 कृष्णगोपाल के स्वामित्व व आधिपत्य की थी, जिनको सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.1982 को भूमि स्वामी घोषित किया गया है और राजस्व अभिलेखों 1935 से निरंतर अभिलेख पर भूमिस्वामी के रूप में उनका नाम अंकित है और कृष्णगोपाल द्वारा आवेदकगण को विधिवत विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2016 व 02.05.2016 को विक्रय कर कब्जा प्रदान किया गया है।

(5) अतिक्रमण कितना ही पुराना क्यों न हो विधि द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है। कब्जा विधिसंगत होने से व स्वत्व का बल साथ में होना चाहिए।

(6) आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि के भूमिस्वामी आधिपत्यधारी नहीं है, न ही उनके पास स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज विक्रय पत्र, अनुबंधपत्र, पट्टा, वसीयत है और न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण के पिता रामचंद्र पिता रामसिंह द्वारा उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 293 पर कभी भी कृषि कार्य नहीं किया गया है और न ही माधोराव या उनके पुत्र द्वारा कृषि कार्य किया गया है। उक्त बातें निगरानी मेमो में काल्पनिक, मनगढ़ंत उल्लेखित होने से विश्वसनीय नहीं है।

(7) आवेदकगण द्वारा उक्त निगरानी दुर्भावनापूर्वक प्रकरण की आगामी कार्यवाही को विलंबित करने हेतु प्रस्तुत की गई है। तहसील न्यायालय के समक्ष अभिलेख उपलब्ध होने के उपरांत भी आज दिनांक तक बहस नहीं की गई है व अनावेदकगण को सूचना की तामील नहीं करवाई गई है।

(8) आवेदकगण द्वारासीमांकन कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई है, न ही उनके द्वारा सीमांकन के दौरान कोई आपत्ति की गई है और न ही पुनः सीमांकन करवाने हेतु कोई आवेदन पत्र दिया गया है। सीमांकन कार्यवाही आवेदकगण की उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक एवं

पटवारी द्वारा विधिवत किया जाकर पंचनामा बनाया गया, है जिस पर आवेदकगण के हस्ताक्षर हैं।

तर्कों के समर्थन में 1990 एम.पी.वीकली नोट 136, 1998 एम.पी.वीकली नोट 116 एवं 1976 आर.एन. 421 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित प्रश्नाधीन अन्तरिम आदेश उचित है/लेकिन तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका 6-11-17 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250(2) के अन्तर्गत अन्तिम आदेश पारित करने के स्थान पर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही ही समाप्त कर दी है । यदि मंडल का कोई स्थगन आदेश भी था तो उन्हें केवल कार्यवाही स्थगित करना चाहिए थी । अतः प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह संहिता की धारा 250(2) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर